



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचादश सत्र अंक-07

रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2018

(माघ 23, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09 एवं 11 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 02, 07 एवं 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री दलेश्वर साहू, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा) एवं संतराम नेताम अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अमित अजीत जोगी के स्थान पर श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव के स्थान पर श्री अमरजीत भगत अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित एवं 58 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 (1 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017), तथा
- (2) श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 पटल पर रखे।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

- (1) श्री खेलसाय सिंह, सदस्य ने नई राजधानी रायपुर में वेदांता कंपनी द्वारा 350 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण करने में विलंब किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

- (2) श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ की राईस मिलें बंद होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

- (1) श्री नवीन मारकण्डेय
- (2) श्री दीपक बैज
- (3) श्री सत्यनारायण शर्मा
- (4) श्री राजेन्द्र कुमार राय
- (5) श्री मोतीलाल देवांगन

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

7. वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक समयवृद्धि की घोषणा की।)

(1.43 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, बृहस्पत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्यामबिहारी जायसवाल, उमेश पटेल

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सायं 5.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 2018 (माघ-26, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा